

विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के समेकित दिशा-निर्देश-2017

1. पृष्ठभूमि:-

विकास में जन-सहयोग कार्यक्रम जो पूर्व कार्यक्रम “गांव भी अपना काम भी अपना” का एक सुधरा हुआ रूप है, प्रदेश में जनवरी, 1993 से लागू किया गया। गत वर्षों में कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु समय-2 पर आंशिक रूप में स्पष्टीकरण / संशोधन जारी किए गये हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जो अनुभव प्राप्त हुए उसके दृष्टिगत, कार्यक्रम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए पूर्व संशोधनों को भी संकलित किया गया है। विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के लिए बजट प्रावधान स्थानीय जिला नियोजन में किए कुल बजट प्रावधान में से उपलब्ध होगा। स्थानीय जिला नियोजन के अन्तर्गत निर्धारित पद्धति जिसके अन्तर्गत जिलों को धनराशि का आबंटन 60 प्रतिशत जनसंख्या और 40 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर 1981 की जनगणना के अनुसार किया जाता है यह पद्धति “विकास में जन सहयोग कार्यक्रम” पर भी लागू है। परन्तु 20 लाख रु० से अधिक लागत वाले कार्यों के अनुमानों/ प्रस्तावों जिनका अनुमोदन राज्य स्तर पर होता है, उनके लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान मामलेवार किया जा सकता है।

विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के समेकित दिशा-निर्देश-2017 निम्न प्रकार से है:-

2. कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:-

- 2.1 विकास कार्यों में सामुदायिक/ निजी अंशदान की भागेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत होगी। शहरी क्षेत्रों में केवल सरकारी पाठशालाओं, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, सरकारी पशु चिकित्सा संस्थानों, सरकारी पेयजल, सीवरेज योजनाओं तथा हैण्ड पम्पों की स्थापना के लिए निजी अंशदान का अनुपात 25 प्रतिशत होगा। लेकिन इस सुविधा का प्रयोग समुदाय के लिए होगा न कि किसी परिवार अथवा व्यक्ति विशेष के लिए।
- 2.2 जनजातीय क्षेत्रों, पिछड़े विकास खण्डों, पिछड़ी घोषित पंचायतों तथा ऐसे गांव जिन में 50 प्रतिशत से अधिक लोग अनुसूचित

जाति से सम्बन्ध रखते हो, से 15 प्रतिशत अंशदान ही लिया जाएगा। ऐसे सभी जनगणना वाले गांव जिन की जनसंख्या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी श्रेणियों को कुल मिलाकर 1991 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक हो तो निजी अंशदान की भागीदारी 15 प्रतिशत ही ली जाएगी और सरकारी अंशदान 85 प्रतिशत होगा। ऐसे क्षेत्रों / पंचायतों में निजी अंशदान पूरा करने के लिए अंशदाता चाहे किसी भी समुदाय और स्थान से सम्बन्ध रखते हों, अपनी भागेदारी दे सकते हैं।

- 2.3 यदि कोई व्यक्ति विशेष सामुदायिक लाभ के कार्यों में कोई काम करवाना चाहता है तो व्यक्तिगत अंशदान 50 प्रतिशत होगा। प्रत्येक निर्मित कार्य/सम्पत्ति जो लागत भागेदारी आधारित है, में निर्माण लागत के अलावा, कार्य की लागत का 10 प्रतिशत अंशदान अतिरिक्त भाग के रूप में लिया जाएगा ताकि निर्मित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव में कोई समस्या न आए। परन्तु एम्बुलेंस सम्बन्धित प्रस्ताव में रख-रखाव एवं अन्य आवर्ती व्यय में सरकारी भागेदारी नहीं होगी।
- 2.4 निजी/ सामुदायिक अंशदान केवल 'नगद' व अग्रिम के रूप में स्वेच्छा से कार्य विशेष के लिए दी गई अथवा एकत्रित की जाएगी। पूर्व स्थापित निधियों जैसे स्कूल भवन फण्ड, रैडक्रास, मन्दिर में चढ़ावा आदि में जमा राशि को निजी/ सामुदायिक अंशदान के रूप में लिया/ दिया हो, उन निधियों की धनराशि को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत घटक बनाकर उपयोग करना निषेध है।
- 2.5 उपायुक्त; निजी/ सामुदायिक अंशदान को तभी एकत्रित/प्राप्त करेंगे यदि उनके पास प्राप्त बजट धनराशि उपलब्ध हो।
- 2.6 गांव अथवा पंचायत स्तर पर सबसे अधिक आवश्यकता Felt Needs and Missing Links पहले ही Identify किए जाएंगे तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर अंशदान लिए जाएंगे तथा कार्यान्वयन किया जाएगा।

2.7 विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी किसी भी विकास योजना/ परिसम्पत्ति का निर्माण नहीं किया जाएगा जिन्हें केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ अन्य किसी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पहले स्वीकृत किया जा चुका हो अथवा किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी हो। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी किसी भी कार्य योजना/ परिसम्पत्ति का भी निर्माण नहीं किया जाएगा जिनके लिए राज्य बजट में प्रावधान किया गया हो और न ही निर्माणाधीन कार्य/ परिसम्पत्ति को पूरा किया जाएगा।

2.8 उपायुक्त पूंजीगत कार्यों के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति देने में सक्षम होंगे परन्तु 20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले मामलों की प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति सरकार की वित्तीय स्वीकृति के बाद ही दी जाएगी।

2.9 निर्धारित प्राथमिकताएं निम्न होंगी:-

(क) स्कूलों के भवन।

(ख) बहुउद्देशीय सामुदायिक परिसम्पत्तियां।

(ग) मोटर योग्य सड़कें तथा रज्जू मार्ग।

(घ) सिंचाई स्कीमें / पेयजल स्कीमें / हैण्डपम्प।

(ङ.) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के भवन।

(च) महत्वपूर्ण मिसिंग लिंकस जैसे कि तीन फेज बिजली की लाईनें, ट्रांसफार्मर, एकसरे प्लाटंस और एम्बुलेंस इत्यादि।

(छ) लावारिस जानवरों के लिए गौ-सदन की स्थापना।¹

विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ विशेष प्रकार के कार्य बिल्कुल ही निरुत्साहित किए जाएं जैसे ग्रामीण गलियां/ पनिहार इत्यादि। ग्रामीण रास्ते केवल पक्के तथा कम से कम दो पहिया वाहनों योग्य ही सोचे जाएं। इसमें नालियों का निर्माण Integral part बनाया जाए।

2.10 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धार्मिक अनुष्ठानों से प्राप्त लोकहित के कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। धार्मिक

¹ No.PLG(F)RDP/5-8/05-VMJS-Shimla Dated 20th March, 2005.

संस्थाओं को केवल सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए ही सहायता दी जा सकेगी। इसके अलावा यदि कहीं अपवाद आवश्यक हो तो वह केवल पर्यटन के महत्व तथा सांस्कृतिक धरोहरों के अनुरक्षण के लिए किया जाएगा तथा इसमें सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।²

- 2.1.1 ऐसे निजी/स्वयंसेवी संस्थाएं जिन्हें पहले ही सरकार से कोई सहायता प्राप्त हो चुकी है, इस कार्यक्रम में सहायता के पात्र नहीं होगी।
- 2.1.2 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों को सरकारी सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।³
- 2.1.3 निर्माण की प्रक्रिया में अंशदान देने वाले लोगों की स्थानीय समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का निर्माण सरकारी ऐजेंसियों के स्थान पर निजी संस्थाओं/समितियों (PTA) द्वारा निर्मित किया जाना है तो ऐसी संस्थाएं/समितियां पंजीकृत होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी आवास समितियां पात्र नहीं होंगी।
- 2.1.4 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 लाख रुपये से अधिक अनुमानित लागत के कार्य समितियों/ स्थानीय कमेटियों के बजाय सरकारी विभागों द्वारा ही क्रियान्वित करवाये जाएंगे।
- 2.1.5 विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय समितियां (Local Committee) 5.00 रुपये लाख से अधिक लागत के कार्य क्रियान्वित नहीं कर सकती क्योंकि इन कमेटियों को प्राक्कलन के स्टैण्डर्ड तकनीकी डिजाईन के अनुसार कार्यों को क्रियान्वित करने की तकनीकी क्षमता (Technical Competence) नहीं है।⁴

² पत्र संख्या: PLG (F) (VMJS) 1-7/2003 dated 11th March, 2005 द्वारा संशोधित

³ पत्र संख्या: PLG (F) VMJS 1-1/2001 dated 27th August, 2003 द्वारा संशोधित

⁴ पत्र संख्या: PLG (F) RDP 5-9/08 VMJS-Sirmour dated 19.2.2014 द्वारा संशोधित

- 2.16 5.00 लाख रू0 से अधिक लागत वाले कार्यों का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की देख-रेख में किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए और प्रत्येक कार्य से सम्बन्धित measurement उस क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता/ तकनीकी सहायक को measurement book में नियमित आधार पर दर्ज करना होगा। Measurement book में दर्ज करके कार्य प्रगति रिपोर्ट के आधार पर कार्यकारी एजेंसी को राशि तीन किशतों में क्रमशः 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत व 40 प्रतिशत आधार पर जारी की जाए, ताकि कार्य समय पर निर्मित और गुणवत्ता पूर्ण हो।
- 2.17 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी कार्यों के वर्षवार UCs/CCs तथा सभी परिसम्पत्तियों का पूर्ण ब्यौरा जिला मुख्यालय में उपलब्ध होना चाहिए तथा निर्मित परिसम्पत्तियों का निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है। पूर्व सौंपे गये कार्यों के UCs/CCs जिला प्रशासन अथवा उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त हों। पंजीकृत संस्थान/ समिति से सरकारी अधिकारी/ तकनीकी कर्मचारी Coopted होना चाहिए ताकि सरकारी धन एवं निजी धनराशि के सदुपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।
- 2.18 समस्त उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत स्कीमों / परिसम्पत्तियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक योजना विभाग हिमाचल प्रदेश को प्रेषित की जाए।
- 2.19 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगी वाहन का प्रावधान भी किया जा सकता है जिसका समस्त औपचारिकताओं का दायित्व स्वास्थ्य विभाग का होगा। इस प्रकार के प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ही प्रेषित किए जाएं ताकि स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले में यह बता पाए कि सम्बन्धित संस्थाओं में पहले से रोगी वाहन अथवा ड्राइवर की उपलब्धि की स्थिति क्या है।⁵

2.20 हर निर्मित परिसम्पत्ति का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिसम्पत्ति यदि निजी भूमि पर निर्मित की जानी है तो भूमि स्थल का Title Deeds सरकार / विभाग / पंचायत के नाम प्रस्तावित कार्य की स्वीकृति से पूर्व स्थानान्तरित होना चाहिए। यदि डी.पी.एफ का मामला हो तो वन विभाग से पूर्वानुमति होनी चाहिए। जिस भूमि पर सामुदायिक परिसम्पत्तियां निर्मित होनी है उस का स्वामित्व परियोजना कार्यक्रम से पहले राज्य सरकार के नाम पर स्थानान्तरित होना आवश्यक है लेकिन कुछ मामलों में जिस भूमि पर सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण/ विकास किया जा रहा है/किया जाना है, वह भूमि/ आबादी देह या आबाद टिका होने के कारण सरकार के नाम स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है क्योंकि उसकी मलकीयत समुदाय की होती है। इसी प्रकार पट्टे पर दीर्घकाल के लिए ली गई समुदाय/निजी व्यक्ति द्वारा भूमि को भी सरकार के नाम नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि भूमि का स्थानान्तरण सरकार के नाम किया जाना आवश्यक नहीं होगा लेकिन कार्य स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से यह शपथ पत्र लिया जायेगा कि उन्हें प्रस्तावित भूमि पर परिसम्पत्ति निर्माण पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है और परिसम्पत्ति हर प्रकार से सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहेगी।

2.21 सरकारी शिक्षण संस्थानों को बेहतर संरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभिन्न non profit trusts or other institutions in similar nature द्वारा दिए गये अंशदान की धनराशि को विकास में जन-सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों के लिए निजी अंशदान धनराशि के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं।⁶

⁶ पत्र संख्या: पी.एल.जी.(एफ) (वि.मे.ज.स.)1-7/2003-शिमला दिनांक 20अप्रैल,2005 द्वारा संशोधित

3. धनराशि का अवमोचन: (Release of funds)

- 3.1 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्ययोजना में सरकारी अशंदांन की विभिन्न स्तरों पर वित्तीय स्वीकृति की सीमाएं (कार्य व रख-रखाव सहित) निम्न होगी:-⁷

क्र० सं०	प्राधिकृत अधिकारी/ विभाग स्तर/अधिकारी का नाम	लागत के आधार पर परिसम्पति निर्माण की वित्तीय स्वीकृति व प्रशासनिक अनुमोदन की वित्तीय सीमा
1	उपायुक्त	20.00 लाख रुपये
2	सलाहकार (योजना)	40.00 लाख रुपये
3	सचिव (योजना)	75.00 लाख रुपये
4	वित्त विभाग	75.00 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाएं

- 3.2 इस कार्यक्रम के अधीन धनराशि का प्रावधान मांग संख्या-15 मुख्य शीर्ष-5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय 00-800-03-SOON State Scheme LDP/VMJS object code-37 मुख्य निर्माण कार्य (योजना स्कीम) के अधीन किया जाएगा तथा व्यय भी इसी विवरण के अनुसार नियमित किया जाएगा ।
- 3.3 उपायुक्तों द्वारा इस कार्यक्रम में कार्यान्वित किए जा रहे सभी कार्यों में फुटकर व्यय के लिए कुल राशि का 0.75 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, ताकि कार्यान्वयन एवं Supervision अधिक प्रभावी हो सके। इस निर्धारित फुटकर व्यय के अतिरिक्त और धनराशि इस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी। निर्धारित 0.75 प्रतिशत फुटकर प्रावधान को स्टेशनरी,पी.ओ.एल. और प्राक्कलन बनाने की लागत इत्यादि पर व्यय किया जा सकता है। लेकिन इस फुटकर प्रावधान में से वाहन का क्रय निषेध है।

⁷ पत्र संख्या:पीएलजी(एफ)/आरडीपी 5-12/05-विमेंजस-लूज दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 द्वारा संशोधित

- 3.4 इस कार्यक्रम के कार्यों के प्रत्येक प्राक्कलनों में फुटकर व्यय 0.75 प्रतिशत कुल निर्माण लागत को शामिल किया जाएगा और प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति भी इसी आधार पर दी जाएगी।
- 3.5 इस कार्यक्रम के अर्न्तगत किये जाने वाले विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी होती है इसलिए समुदाय को प्रस्तावित कार्यों के तकनीकी अनुमान बनवाने तथा इन कार्यों के कार्यान्वयन करने हेतु संस्था के चयन करने में छूट दी जाती है। इस सन्दर्भ में सम्बन्धित उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमान अप्रत्याशित रूप से अधिक लागत के न हों। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यों के तकनीकी अनुमान किसी भी स्तर के सक्षम अभियन्ता द्वारा अनुमोदित होने चाहिएं भले यह अधिकारी ग्रामीण विकास, पंचायती राज, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन -स्वास्थ्य, शहरी विकास, विद्युत बोर्ड अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रम में कार्यरत हों। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब कार्यों के तकनीकी अनुमान एक बार किसी सक्षम अभियन्ता द्वारा अनुमोदित करवा लिये जाते हैं तो इन अनुमानों को दोबारा किसी भी सक्षम अभियन्ता द्वारा निरीक्षण/अनुमोदन करवाना आवश्यक नहीं होगा। इन निर्माण कार्यों के स्थल का चयन सम्बन्धित समुदाय करेगा और कार्यक्रम के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश/नियमों की अनुपालना करना भी सुनिश्चित करेगा।
- 3.6 तकनीकी अनुमानों में किसी भी प्रकार के Contractor Profit, Overhead Charges अथवा भागीदारी का लाभांश शामिल नहीं होगा। सक्षम अभियन्ता इस आशय का एक प्रमाण-पत्र अनुमान में लगाएंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तकनीकी अनुमानों में Bare Minimum Cost ही शामिल है।⁸
- 3.7 निम्नलिखित तकनीकी शक्तियां हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग, विनियम द्वारा कमशः जारी अधिसूचना

⁸ पत्र संख्या: पी.एल.जी.(एफ) (वि.में.ज.स.)1-7/99 -शिमला दिनांक 3 मार्च, 2003 द्वारा संशोधित

संख्या:Fin.(C)A(2)-2/89 dated 4th March, 2014 के माध्यम से प्रदत्त की गई हैं ।

क्रमांक	विभाग का नाम	प्राधिकृत अधिकारी स्तर	तकनीकी शक्तियां (रु लाख में)
1.	पंचायती राज विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग	1. तकनीकी सहायक 2. कनिष्ठ अभियन्ता 3. सहायक अभियन्ता 4. अधिशाषी अभियन्ता	1.50 5.00 10.00 10.00 लाख रु० से उपर समस्त शक्तियां ।
2.	लोक निर्माण विभाग	1. अधिशाषी अभियन्ता (Non selected) 2. अधिशाषी अभियन्ता (selected) 3. अधीक्षण अभियन्ता /प्रमुख अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता	1 5.0 0 4 5.0 0 2 2 5.0 0 लाख रु० से उपर समस्त शक्तियां ।

- 3.8 विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत उपायुक्तों को आबंटित की जा रही धनराशि को सामग्री और मजदूरी घटकों में 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा ।
- 3.9 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली परिसम्पतियों के प्राक्कलन Public Works विभाग द्वारा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं scheduled दरों के आधार पर तैयार किए जाएंगे ।

- 3.10 कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली परिसम्पत्तियों / कार्यों के प्राक्कलनों में विभागीय चार्जिज शामिल नहीं होंगे।
- 3.11 विकेन्द्रीकृत नियोजन के विभिन्न विकासात्मक स्कीमों/ कार्यों जिसमें विकास में जन सहयोग भी शामिल है, के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन हेतु, एल.ओ.सी. डिपोजिट वर्कस के लिए प्रमुख अभियन्ता को प्रदत्त की गई वित्तीय शक्तियों का प्रयोग सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उनके पास जमा राशि का प्रयोग अपने स्तर पर करेंगे ताकि विकेन्द्रीकृत नियोजन का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इससे एक तो धनराशि का अभ्यर्पण नहीं होगा, स्वीकृति प्राप्त करने में भी विलम्ब नहीं होगा और भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति भी शत प्रतिशत होगी।
- 3.12 कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले स्वीकृत कार्य/परिसम्पत्ति कार्यान्वयन स्वीकृति धनराशि के अन्दर ही होगा/होगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति में लागत बढ़े तो अतिरिक्त धनराशि निजी / समुदाय को ही वहन करनी होगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संशोधित स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- 3.13 कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य/परिसम्पत्ति के निर्माण पर कोई आवर्ती व्यय नहीं होगा (सिवाए रख-रखाव के लिए अंशदाताओं पर आधारित अंशदान को छोड़कर) एम्बूलेंस सहित जिसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी रख-रखाव अंशदान नहीं होगा तथा सरकार की कोई अन्य जिम्मेवारी नहीं होगी।
- 3.14 निर्मित परिसम्पत्ति को सम्बन्धित विभाग/पंचायत /संस्था को सुपुर्द करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निर्माण शुरू करने से पहले सम्बन्धित विभाग/पंचायत/संस्था से अनुबन्ध किया जाना आवश्यक है ताकि निर्माणोपरान्त परिसम्पत्ति का रख-रखाव ठीक रहे।
- 3.15 निर्माणाधीन परिसम्पत्ति का निर्माण, यदि विशेष परिस्थिति जैसे प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि में पूरा करना असंभव हो तो उसके समेत बचे हुए सामान की कीमत/सूची तैयार करके उपायुक्त मामला सरकार को बट्टे खाते में डालने के लिए भेजेंगे।

- 3.16 विकास में जन सहयोग, रख-रखाव में जन सहयोग और क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत कार्यक्रम में यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कोई राशि ब्याज के रूप में अर्जित हो, तो अर्जित ब्याज राशि सरकार की सामान्य पावती खाते में जमा करवाई जाएगी। यह धनराशि विकासात्मक कार्यों के लिए (चालू एवं नई स्कीमों पर) व्यय नहीं की जाएगी।
- 3.17 विकास में जन सहयोग कार्यक्रम में रख-रखाव राशि घटक का उपयोग इस कार्यक्रम में रख-रखाव राशि से अर्जित ब्याज धनराशि रख-रखाव निधि का भाग माना जाएगा और यह राशि रख-रखाव कार्यों पर प्रयोग की जाएगी।
- 3.18 स्वीकृत कार्य योजना/परिसम्पत्ति का निर्माण स्वीकृति के एक वर्ष के अन्तराल में पूर्ण करना आवश्यक है।
- 3.19 यदि Cost-Sharing basis आधारित स्कीम निजी/सामुदायिक अंशदान जमा धनराशि के 6 महीने बाद अथवा सम्बन्धित बजट वर्ष के मार्च माह तक (जिसमें जो बाद में आता है) किन्हीं कारणों से स्वीकृत नहीं होती तो निजी /सामुदायिक अंशदान ब्याज सहित अंशदाताओं को वापिस लौटाया जाएगा। इससे आगे निजी/सामुदायिक अंशदान सभी जिलाधीश/प्राधिकृत अधिकारी तभी जमा रखेंगे यदि अंशदाताओं से लिखित रूप में अनुरोध किया हो।

4. परिसम्पत्तियों का रख-रखाव

इस कार्यक्रम के आरम्भ किए जाने से ही विभिन्न परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए कुल परियोजना लागत की 10 प्रतिशत के बराबर रख-रखाव निधि अलग से प्रावधित की गई है। रख-रखाव के लिए बने कोष का संचालन उपायुक्तों के माध्यम से किया जाएगा तथा रख-रखाव विकास खण्ड संस्थाएं आदि करेगी। रख-रखाव राशि के उपयोग के सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा।

- 4.1 इस कार्यक्रम में रख-रखाव राशि से अर्जित ब्याज धनराशि रख-रखाव निधि का भाग माना जाएगा। किसी भी परियोजना

अथवा परिसम्पत्ति के निर्माण समापन से तीन वर्षों तक रख-रखाव निधि में से कोई धनराशि प्रयोग नहीं की जाएगी।

- 4.2 रख-रखाव के सभी कार्यान्वयन सम्बन्धित कार्य-कलापों को विकास खण्ड संस्था के माध्यम से कार्यान्वित तथा पर्याविक्षित किया जाएगा। इस व्यवस्था में अपवाद केवल ऐसी स्थिति में किया जाएगा जहां परियोजना/परिसम्पत्ति का निर्माण किसी पंजीकृत अथवा वैधानिक संस्था जैसे कि पंचायत, महिला मण्डल, युवक मण्डल इत्यादि के माध्यम से किया गया हो। ऐसे मामलों में रख-रखाव निधि इन संस्थाओं को हस्तांतरित की जा सकती है बशर्ते कि वे परिसम्पत्ति का सामान्य रख-रखाव इस निर्देश तथा मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अनुसार करें।
- 4.3 जहां परिसम्पत्तियों का उपयोग पूर्णतया सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, ऐसे मामलों में रख-रखाव निधि उपायुक्तों के पास ही रहेगी तथा रख-रखाव का कार्य उन्हीं के स्तर पर स्वीकृत किया जाएगा व विकास खण्ड संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विकास में जन सहयोग के अधीन रख-रखाव के कार्यों के लिए किसी प्रकार का विभागीय प्रभार नहीं लिया जाएगा।
- 4.4 क्योंकि विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अधीन रख-रखाव निधि जमा होने से कम से कम तीन वर्ष तक अप्रयोग पड़ी रहेगी, उपायुक्त एवं पंजीकृत अथवा वैधानिक संस्थाएं इस राशि का सर्वाधिक संभावित प्रबन्धन कर सकती हैं। जिसके माध्यम से उन्हें ब्याज के रूप में अधिकाधिक आय प्राप्त हो (उदाहरणार्थ लघु बचत योजनाएं) तथा उस पर ब्याज के माध्यम से अर्जित राशि भी इसी रख-रखाव निधि का भाग माना जाएगी।
- 4.5 विकास में जन सहयोग कार्यक्रम में रख-रखाव निधि के अधीन किए गए सभी कार्यों का तकनीकी पुष्टिकरण विकास खण्ड संस्था के माध्यम से किया जाएगा।
- 4.6 इस कार्यक्रम के अधीन रख-रखाव निधि के उपयोग के लिए योजना विभाग के माध्यम से सरकार निर्णय ले सकती है।

5. प्रबोधन व्यवस्था (Monitoring arrangements)

5.1 इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों का प्रभावी सामुहिक अनुश्रवण एवं निरीक्षण (Monitoring and Supervision) निम्न प्रकार से होगा:-

क्र०संख्या	निरीक्षण अधिकारी का स्तर	कुल स्वीकृत कार्यों की प्रतिशतता जिसका निरीक्षण किया जाना है
1.	2.	3.
1.	खण्ड विकास अधिकारी/अधिशाली अभियन्ता (विकास)/सहायक अभियन्ता (विकास)	100 प्रतिशत
2.	जिला योजना अधिकारी	15 प्रतिशत
3.	अतिरिक्त उपायुक्त/अति०जिला दण्डाधिकारी (मुख्य योजना अधिकारी)	5 प्रतिशत
4.	उपायुक्त	4 प्रतिशत
5.	सलाहकार (योजना)/योजना विभाग के मुख्यालय के अन्य अधिकारी	1 प्रतिशत

5.2 लागत-सहभोगी (Costing Sharing) आधारित परिसम्पत्ति / कार्य-योजना निर्माणोपरान्त उपयोग के लिए अंशधारकों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

5.3 विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि किसी मद पर आगामी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो पत्राचार, सलाहकार (योजना) हि०प्र०, शिमला-171002, से किया जा सकता है ।

5.4 उपायुक्त एवं उनके प्राधिकृत अधिकारीगण / कार्यकारी ऐजेंसीज विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान

हि0प्र0 वित्त विभाग द्वारा जारी की गई वित्तीय हिदायतें जोकि समय-2 पर इस विषय में जारी की गई / की जाएंगी को भी ध्यान में रखेंगे ताकि लेखा आपतियां न उभरे ।

अति आवश्यक

संख्या:पीएलजी(एफ) आरडीपी/5-12/05-वि.क्षे.वि.नि.यो.-लूज
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक : शिमला-2,

30 नवम्बर, 2018.

विषय:- विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संशोधित दिशा-निर्देश ।

महोदय/महोदया,

विकेन्द्रीकृत नियोजन के अधीन चलाए जा रहे “विकास में जन सहयोग” और “क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन” के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन की वित्तीय सीमाओं को बढ़ाने का मामला कुछ समय पूर्व से योजना विभाग के विचाराधीन था। इस सम्बन्ध में निर्माण लागतों में आई वृद्धि एवं समग्र अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्न संशोधन किया गया है जिसे तुरन्त प्रभाव से लागू समझा जाए :-

स्तर/ अधिकारी का नाम	लागत के आधार पर परिसम्पत्ति निर्माण की वित्तीय स्वीकृति व प्रशासनिक अनुमोदन की वित्तीय सीमा
1. उपायुक्त	40 लाख रुपए
2. सलाहकार (योजना)	70 लाख रुपए
3. अति० मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव (योजना)	100 लाख रुपए
4. वित्त विभाग की अनुमति से योजना विभाग द्वारा अनुमोदन	100 लाख रुपए से अधिक की परियोजनाएँ

इसी सन्दर्भ में पूर्व में जारी पत्र संख्या: पीएलजी(एफ) आरडीपी/5-12/05-वि.क्षे.वि.नि.यो.-लूज दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के सम्बन्ध में वित्तीय तथा प्रशासनिक अनुमोदन से सम्बन्धित प्रदत्त शक्तियों को निरस्त किया जाता है तथा अब से इन दोनों मदों के अन्तर्गत सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु शक्तियाँ उपायुक्तों के पास ही रहेंगी । यद्यपि पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन हेतु वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी ।

अन्य समस्त शर्तें इस विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या: पी.एल.जी. (एफ) 3-5/84-1 दिनांक 11 जनवरी, 1999 के अनुसार यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(डॉ० बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश,
शिमला-2.

4/1

संख्या:पीएलजी(एफ) आरडीपी/5-8/05-VMJS-Shimla
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
योजना विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक : शिमला-2,

11 नवम्बर, 2021.

विषय:- विकास में जन-सहयोग कार्यक्रम के संशोधित दिशा-निर्देश ।

महोदय/महोदया,

विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर आए जन प्रतिनिधियों के सुझावों तथा बदले हुए परिवेश में व्यवहारिकता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के दिशा-निर्देश-2017 की मद संख्या: 2.9 में निर्धारित प्राथमिकताओं में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त संशोधन को विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत तुरन्त कार्यान्वित करना सुनिश्चित करें। योजना के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में अन्य औपचारिकतायें व शर्तें तथा रखरखाव से सम्बन्धित शर्तें इस विभाग द्वारा जारी समेकित (Consolidated) दिशा-निर्देश-2017 के अनुरूप ही रहेंगी।

भवदीय,


(डॉ बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश,
शिमला-2.

पृ०संख्या: यथोपरि दिनांक शिमला-2, 11 नवम्बर, 2021.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. समस्त अति०मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, हि.प्र.सरकार,शिमला-2।
2. प्रधान सचिव (माननीय मुख्यमन्त्री), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
3. आयुक्त जन जातीय, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
4. समस्त विभागाध्यक्ष, हि०प्र०।
5. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3।
6. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एण्ड.ई.), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3।
7. समस्त जिला योजना अधिकारी/साख योजना अधिकारी जिला योजना कक्ष (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जन जातीय विकास परियोजना, किन्नौर, लाहौल स्थित केलाग, स्पिति स्थित कांजा, पांगी स्थित किलाड़ और भरमौर।
9. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश एवं राजधानी कोष हि. प्र. शिमला-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. तंत्र विश्लेषक, योजना विभाग, हि०प्र०, शिमला को दिशा -निर्देश की प्रति विभाग की website पर upload करने हेतु।
10. रक्षक नस्ति।


सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश,
शिमला-2.